GCMS No. : 2023/266

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारीः— अरविन्द कुमार जाखड़

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 108/2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

अभियुक्त (विक्रेता एवं भागीदार)— 1. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह 2.श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री चन्दगीराम, सादुलशहर, श्रीगंगानगर।
फर्म — मै. श्याम मिष्ठान भण्डार, शॉप नंबर 32, तह बाजार, पीएनबी बैंक के सामने सादुलशहर, श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(।।)/51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

निर्णय **दिनांकः 02 फरवरी, 2024**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री कंवर पाल सिंह दिनांक 02.05.2023 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 22.12.2022 के अनुसार उन्हे कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.05.2023 को दोपहर 02.50 बजे मैसर्स श्याम मिष्ठान भंडार, शॉप नंबर 32, तह बाजार, सादुलशहर, श्रीगंगानगर पहुंचे। मौके पर श्री अनिल कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह विक्रेता एवं भागीदार की हैसियत से मौजूदा था और संस्थान में स्टील ट्रे में रखे खाद्य पदार्थ **मिल्क केक मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित)** के बारे में जानकारी चाहने पर विक्रेता ने स्टील ट्रे में रखे 08 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **मिल्क केक मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित)** को आमजन के बेचान हेतु बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **मिल्क केक मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म नं. 05 ए भरकर देते हुए मौके पर फार्म सं. 05 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता,

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

मालिक एवं गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किए एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए।

आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ में से 02 किलोग्राम **मिल्क केक मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित)** को विक्रेता से खरीद किया, 02 लीटर दूध को 04 बराबर भागों में बांटकर चार सुखी बोतलों में भरा एवं चारों बोतलों पर चार लेबल चिपकाए। मौके पर खरीदशुदा गाय के दूध का 70 रूपए का भुगतान किया एवं केशमीमो बनवाकर, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ **मिल्क केक मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित)** 02 किलोग्राम विक्रेता से खरीद कर मौके पर ही उक्त क्रय शुदा खाद्य पदार्थ **मिल्क केक मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित)** का नगद भुगतान 600 रुपए किया तथा केशमीमो बनवाकर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर हैं और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के भी हस्ताक्षर हैं।

खरीदशुदा **मिल्क केक मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित)** को एकरूप कर चार बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर, प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद कर, चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के–1796 दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर किए और खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराए। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप **के–1796** को नियमानुसार चारों नमूनों को नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाकर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बंद कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं भागीदार तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर, समझाकर फर्द रिपोर्ट पर हस्ताक्षर हेतु कहा, जिसे श्री अनिल कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यलय पहुंचकर फार्म 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सीलबन्द कर अगले कार्यदिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की तथा शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म 6 की एक प्रति आउटर कवर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

में सील बन्द कर डी.ओ. एवं सी.एम.एच.ओ., श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, बीकानेर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस 657/एक्ट/2023/657 दिनांक 15.05.2023 के अनुसार खाद्य नमूना **के–1796** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii)/51 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ **अमानक (सब–स्टेण्डर्ड) फूड** पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्रीगांनगर ने अभियुक्त के विरूद्ध एफ.एस. एस.ए.एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 22.09. 2023 को प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्तगण ने अपने जवाब में कथन किया है कि श्रीकंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा असत्य तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त धारा के अंतर्गत मिल्क केक मिठाई का नमूना सबस्टेंडर्ड पाये जाने के कारण परिवाद प्रस्तुत किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मिल्क केक मिठाई का नमूना लेकर पब्लिक हैल्थ लेबोट्री, बीकानेर से जांच करवाई थी, जांच में मिल्क केक मिठाई में मिल्क फैट अधिक पाये जाने पर मिठाई को सबस्टेंडर्ड घोषित किया गया था, जिसके संबंध में निवेदन है कि मिल्क केक मिठाई दूध व चिनी से निर्मित होती है, इस मिठाई में अन्य किसी तत्व को नहीं मिलाया गया था, केवल मात्र दूध व चिनी के मिश्रण से ही मिठाई निर्मित की गई थी। जांच प्रतिवेदन के अनुसार मिल्क फैट कम पाये जाने के कारण मिठाई को अमानक घोषित किया गया था। दूध के संबंध में निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा दूध में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई थी, जैसा दूध प्रार्थी को प्राप्त हुआ था, उसी से मिठाई बनाई गई थी। दूध एक प्रोपराईट्री फूड है, जिसमें प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई थी। दूध में किसी प्रकार की यदि मिल्क फैट में कमी थी तो उसके लिए दूध सप्लाई करने वाला ही उत्तरदायी है। प्रार्थी द्वारा उक्त धाराओं में किसी प्रकार का अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कार्यवाही को ड्राप किया जाए।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त श्री अनिल कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह मैसर्स–श्याम मिष्ठान भण्डार, शॉप नं. 32, तह बाजार, सादुलशहर, श्रीगंगानगर से लिया गया **मिल्क केक मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित)** का सैम्पल **के–1796** जाचं रिपोर्ट क्रमांक एलएस 657/एक्ट/2023/657 दिनांक 15.05.2023 द्वारा **सब–स्टेण्डर्ड (अमानक)** पाया गया है। अतः अभियुक्तगण के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/51 के उल्लंघन का अपराध साबित होता है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि श्रीकंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा असत्य तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त धारा के अंतर्गत मिल्क केक मिठाई का नमूना सबस्टेंडर्ड पाये जाने

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

के कारण परिवाद प्रस्तुत किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मिल्क केक मिठाई का नमूना लेकर पब्लिक हैल्थ लेबोट्री, बीकानेर से जांच करवाई थी, जांच में मिल्क केक मिठाई में मिल्क फैट अधिक पाये जाने पर मिठाई को सबस्टेंडर्ड घोषित किया गया था, जिसके संबंध में निवेदन है कि मिल्क केक मिठाई दूध व चिनी से निर्मित होती है, इस मिठाई में अन्य किसी तत्व को नहीं मिलाया गया था, केवल मात्र दूध व चिनी के मिश्रण से ही मिठाई निर्मित की गई थी। जांच प्रतिवेदन के अनुसार मिल्क फैट कम पाये जाने के कारण मिठाई को अमानक घोषित किया गया था। दूध के संबंध में निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा दूध में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई थी, जैसा दूध प्रार्थी को प्राप्त हुआ था, उसी से मिठाई बनाई गई थी। दूध एक प्रोपराईट्री फूड है, जिसमें प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई थी। दूध में किसी प्रकार की यदि मिल्क फैट में कमी थी तो उसके लिए दूध सप्लाई करने वाला ही उत्तरदायी है। प्रार्थी द्वारा उक्त धाराओं में किसी प्रकार का अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कार्यवाही को ड्राप किया जाए।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि The sample of "**Milk Cake (Made by Milk and Sugar)**" bearing Code No. and Sr. No. **K-1796** of Designated Officer cum the Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar, is **Sub-standard Food** as ectracted fat does not conforms the standard of milk Fat as prescribed in of Food Safety and Standard (Food Products Standard and Food Additive) Regulation, 2011.

फलस्वरूप, श्री अनिल कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, फर्म– मै. श्याम मिष्ठान भण्डार, शॉप नं. 32, तह बाजार, सादुलशहर, श्रीगंगानगर को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(ii)/51 के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री अनिल कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20000/– (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पालनार्थ भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 02.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्री गंगानगर।